दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs)
2 December 2020

by - Varun Pachauri

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

Unacademy Learning App

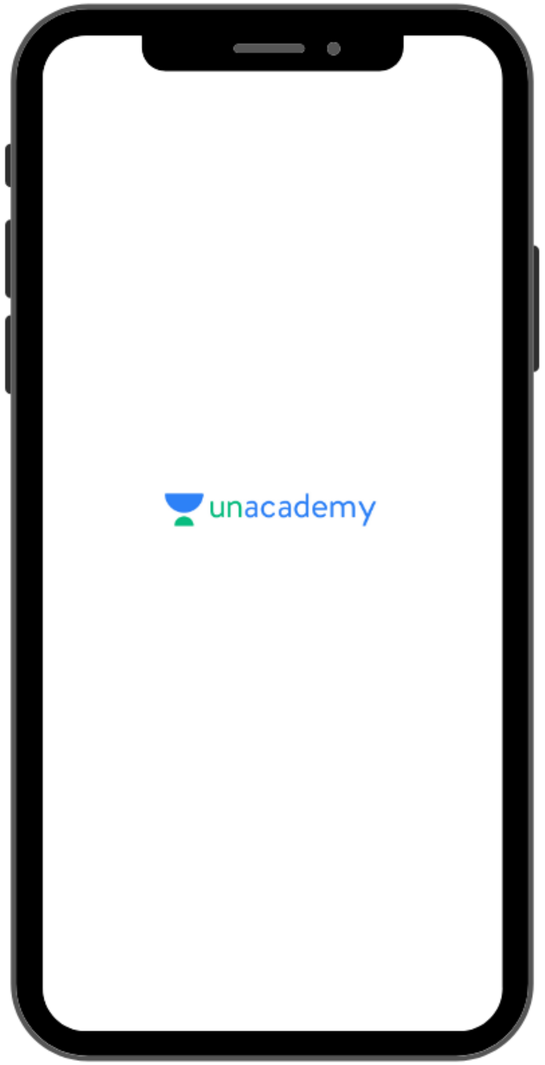

- Structured Batches with Top Educators
- Batches in Hindi, English and Bilingual
- Late night as well as 2 year batches
- 100% syllabus coverage
- Vast range of Optionals
- Prelims Test series with evaluation
- Mains Test Series with evaluation
- Dedicated Doubt Clearing Classes
- Daily Current Affairs Practice
- Essay & Answer Writing Practise
- Performance Analysis
- Sectional Quizzes
- Interview Preparation

Plus UPSC CSE Subscription

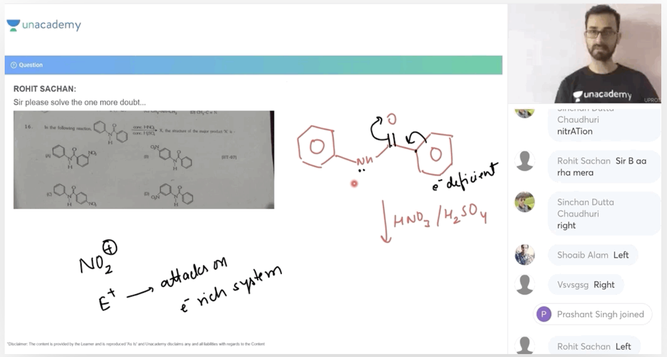

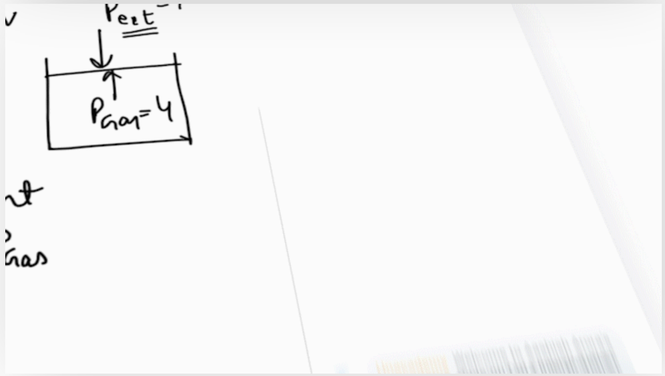

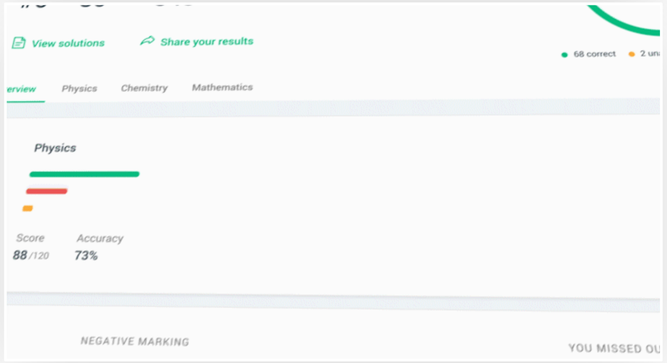

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

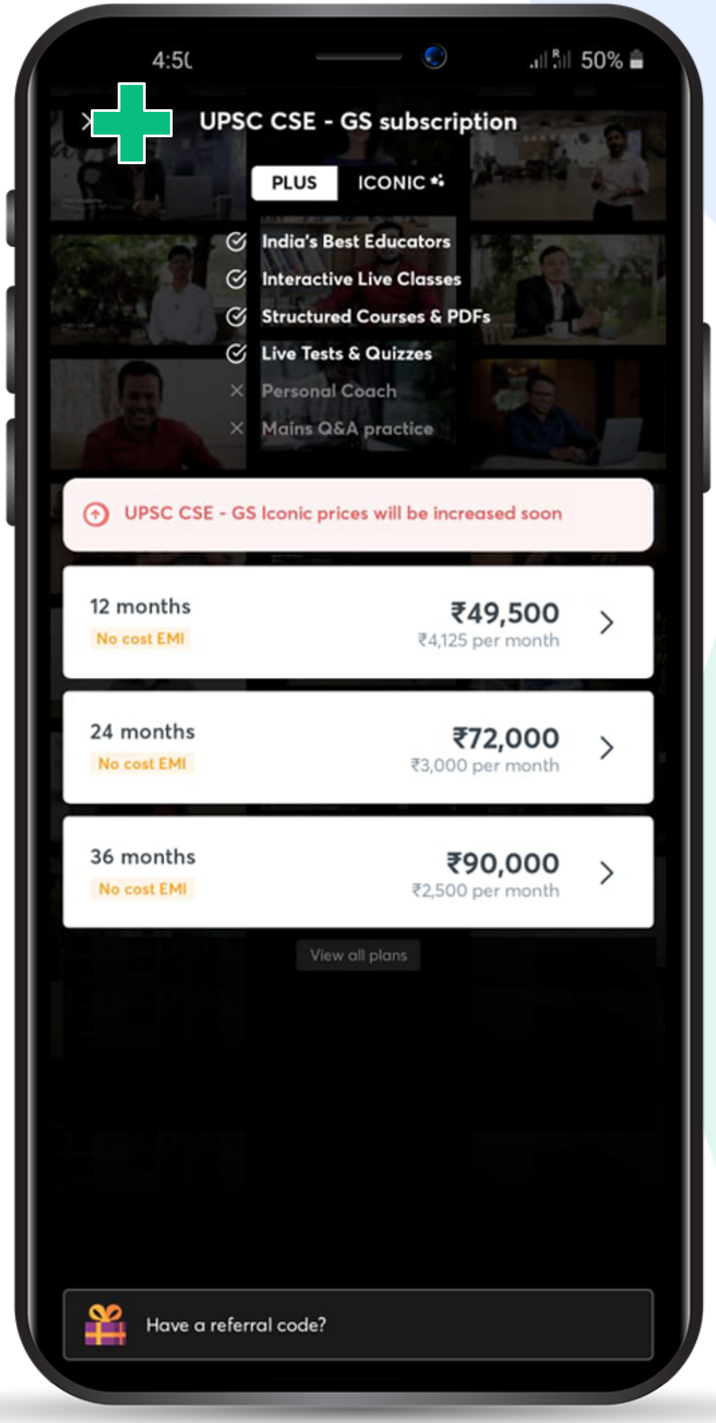

Iconic UPSC CSE Subscription

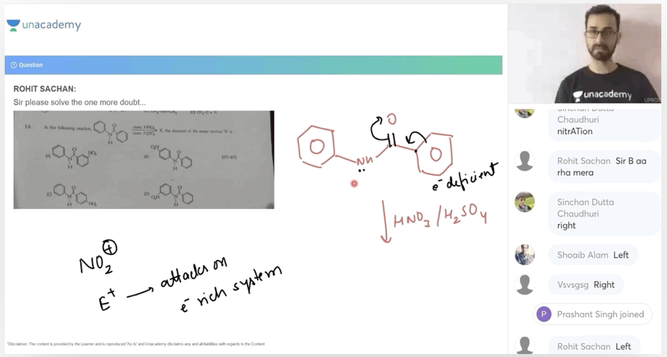

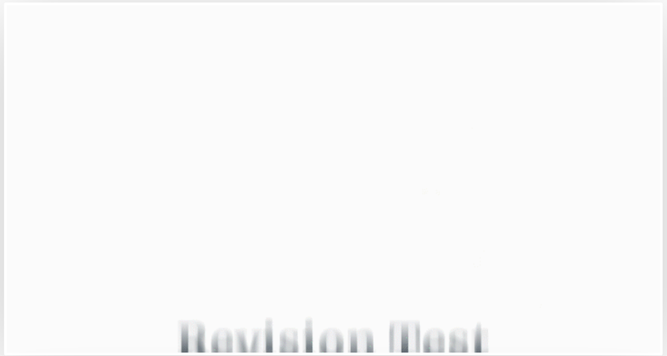

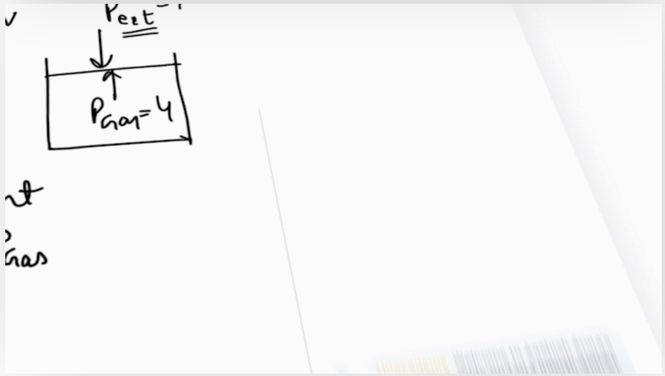

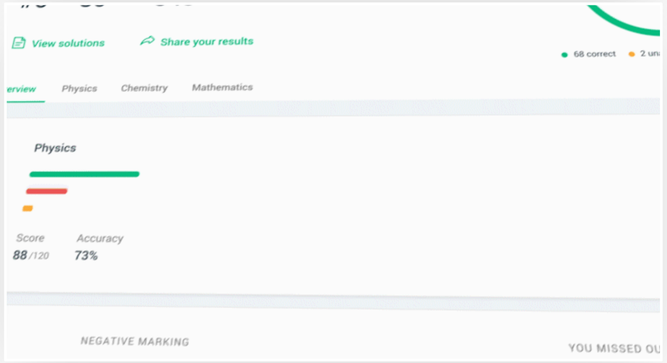

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

Get Subscription Now

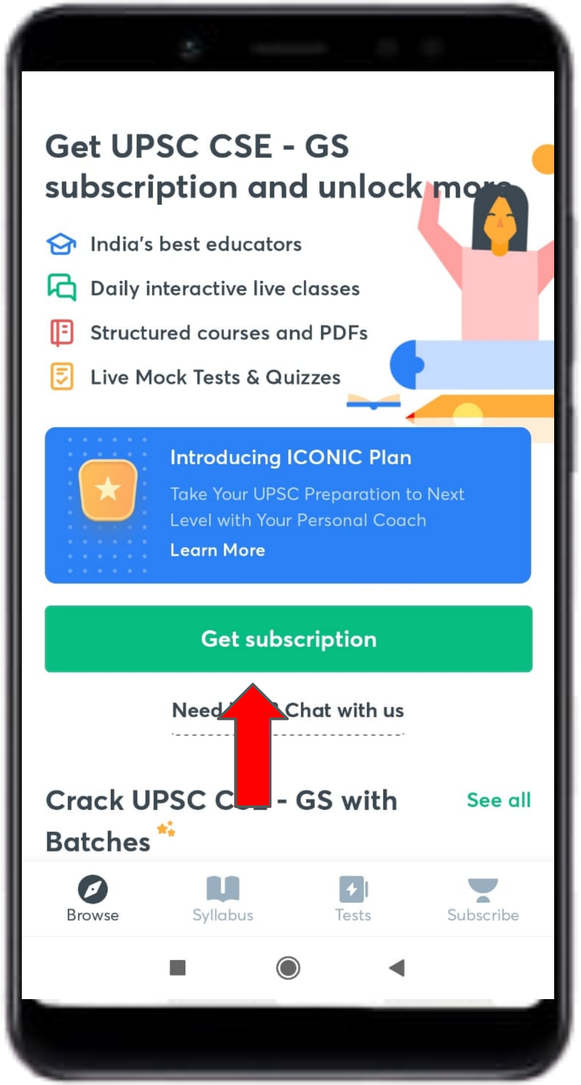

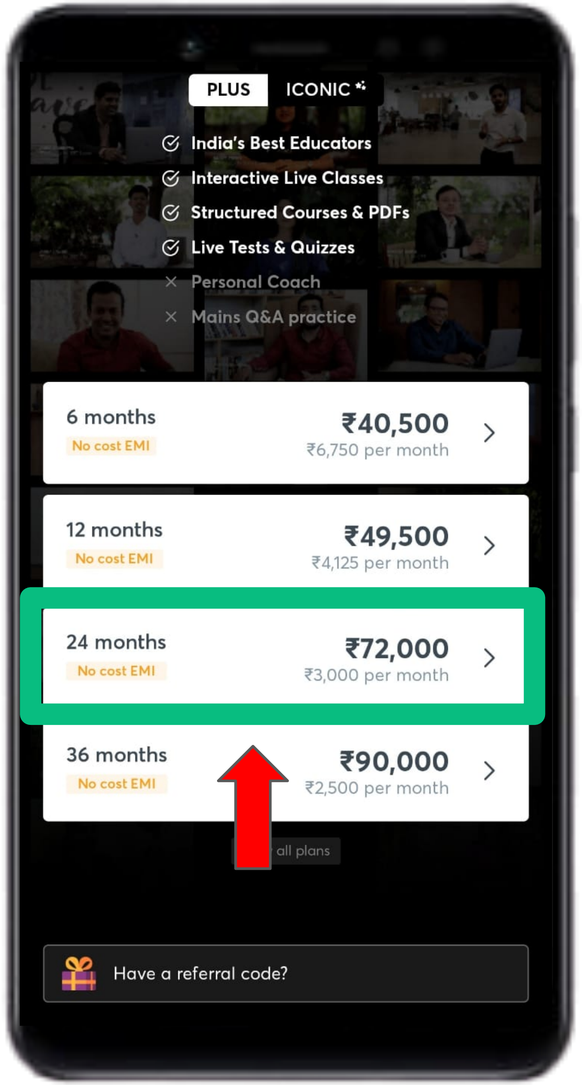

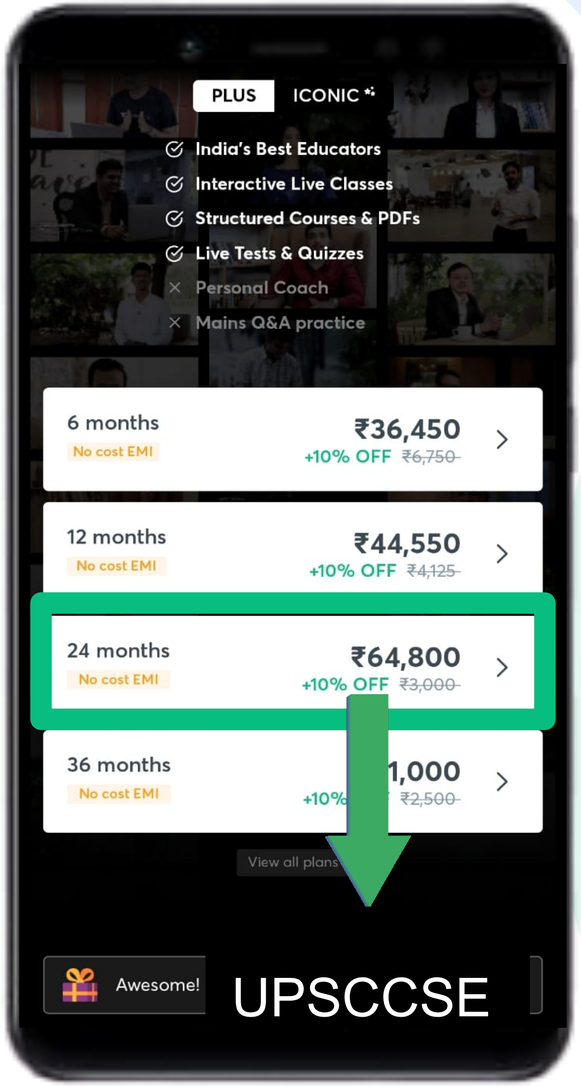

Subscribe now and Get 10% Extra Off. Apply Code - "CIVILHINDIPEDIA"

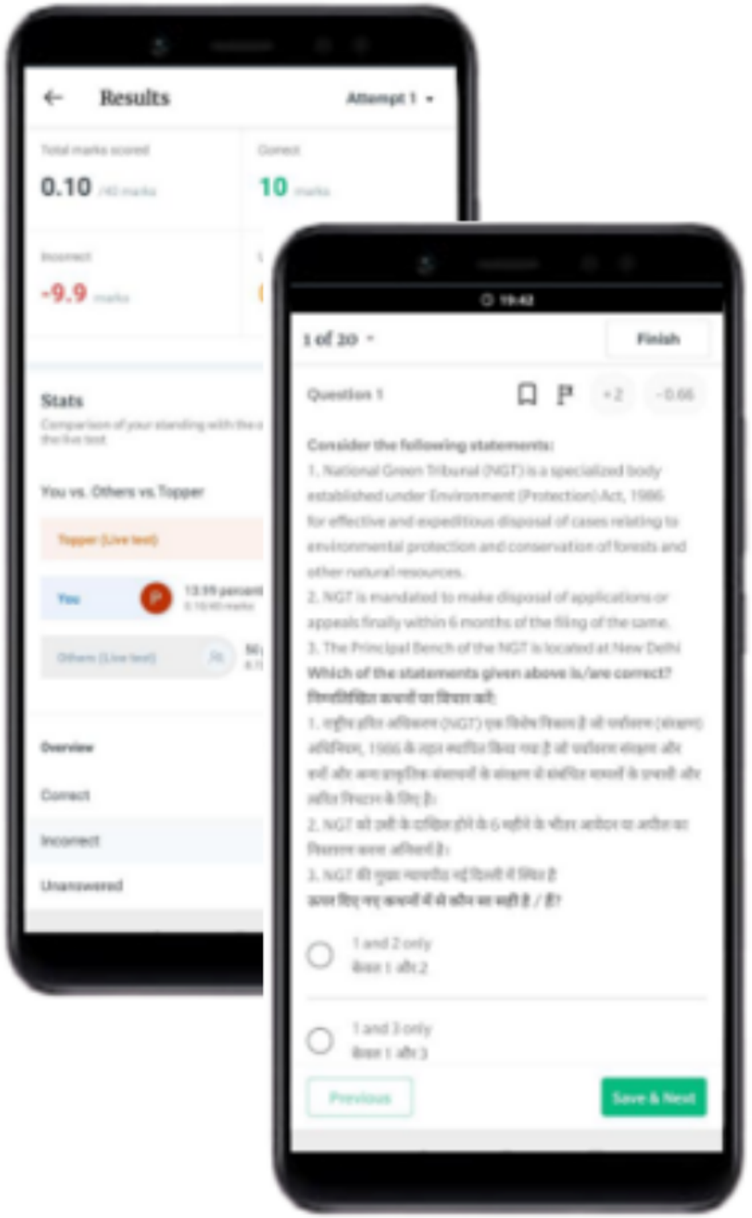

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

समसामयिकी

विविध स्त्रोतों से

चीन-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग
(China-Nepal bilateral cooperation)

China
Tibet
Nepal
Bhutan
India
Bangladesh

- हाल ही में चीनी रक्षा मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मज़बूत करने, प्रशिक्षण एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को पुनः शुरू करने आदि जैसे कई महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई
- वर्ष 1955 में नेपाल ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये।नेपाल ने वर्ष 1956 में तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया तथा वर्ष 1960 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये।

- वर्ष 1970 में नेपाल के शासक राजा बीरेंद्र द्वारा नेपाल को भारत और चीन के बीच ‘शांति क्षेत्र’ के रूप में चिह्नित किये जाने के प्रस्ताव पर भारत ने अधिक रुचि नहीं दिखाई गई, जबकि चीन द्वारा इसका समर्थन किया गया।इस मुद्दे और ऐसे ही कई मामलों ने भारत तथा चीन के संबंधों में दरार पैदा की, जबकि इसी दौरान चीन नेपाल को समर्थन तथा सहयोग देने के लिये तत्पर रहा।भारत-नेपाल संबंधों में वर्ष 2015 में एक नया मोड़ तब आया जब भारत ने नेपाल पर एक अनौपचारिक परंतु प्रभावी नाकाबंदी लागू की, जिसके कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई।

- भारत के साथ विवादों के बढ़ने के कारण ही चीन ने तिब्बत में नेपाल से लगी अपनी सीमा खोल दी।चीनी राष्ट्रपति की हालिया नेपाल यात्रा के बाद नेपाल ने 'वन चाइना पॉलिसी' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसी भी सेना को चीन के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति न देने वादा किया है।
- हालाँकि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर खुला होने के साथ ही लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी गई है, परंतु चीन पिछले कुछ समय से नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार होने के भारत के दर्जे को हथियाने के लिये बढ़-चढ़ कर प्रयास कर रहा है।

- भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ समय से यह दक्षिण एशियाई देशों के नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में उभर रहा है।चीन भारत की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा को रोकना चाहता है, जो कि भविष्य में चीन के एक महाशक्ति बनने के मार्ग में बाधा बन सकता है। तिब्बत में भारत का बढ़ता प्रभाव चीन के लिये सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने और चीन विरोधी गतिविधियों के लिये नेपाल की भूमि के उपयोग को रोकने हेतु नेपाल के साथ सक्रिय सहयोग बनाए रखना चीन की नेपाल नीति का प्रमुख हिस्सा बन गया है।

- चीन के साथ नेपाल की उत्तरी सीमा पूरी तरह से तिब्बत से मिलती है, जिसके कारण चीन तिब्बती मामलों को नियंत्रित करने के लिये नेपाल के साथ सुरक्षा सहयोग को काफी महत्त्वपूर्ण मानता है।
- नेपाल, चीन को आवश्यक वस्तुओं का एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता तथा देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिये एक सहायक के रूप में देखता है।नेपाल की लगभग आधी आबादी बेरोज़गार है और आधी से अधिक आबादी निरक्षर है।

- वहीं नेपाल में 30 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।गरीबी और बेरोज़गारी जैसी आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिये नेपाल को चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की सहायता की आवश्यकता है।चूँकि चीन को भी तिब्बत जैसे मामलों में नेपाल की सहायता की आवश्यकता है, इसलिये चीन के साथ वार्ता में नेपाल को काफी महत्त्व दिया जाता है, साथ ही इसके माध्यम से नेपाल, भारत के 'बिग ब्रदर' वाले दृष्टिकोण से मुकाबला कर सकता है।चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से नेपाल, चीन के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार मार्गों पर भारतीय प्रभुत्व को समाप्त अथवा कम करना चाहता है।

- चीन और नेपाल के बीच इन समीकरणों को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन अपनी ‘सुरक्षा कूटनीति’ का उपयोग नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये एक उपकरण के रूप में कर सकता है।चूँकि नेपाल भारत के लिये एक ‘बफर स्टेट’ के रूप में कार्य करता है, इसलिये इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना किसी भी प्रकार से भारत के रणनीतिक हित में नहीं होगा।चीन की मज़बूत वित्तीय स्थिति भारत के लिये पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है।

- चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे के माध्यम से चीन को अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को भारत में डंप करने का एक अन्य विकल्प मिल जाएगा, जिससे भविष्य में चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है।
- नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा पर अनौपचारिक नाकाबंदी के बाद ही चीन के साथ अपने संबंधों में बढ़ोतरी की थी, ज्ञात हो कि इस नाकाबंदी के कारण नेपाल में ईंधन और दवा की भारी कमी हो गई थी।

- यद्यपि भारत के पास इस तरह की नाकाबंदी को लागू करने का पूरा अधिकार है, किंतु भारत को ऐसे कदमों से बचना चाहिये, क्योंकि यह नेपाल और उसके नागरिकों की नज़र में भारत की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। आवश्यक है कि भारत, नेपाल के विकास में एक सेतु के रूप में कार्य करे और नेपाल को यह विश्वास दिलाया जाए कि भारत की विदेश नीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

- नेपाल के साथ अपने संबंधों के महत्त्व को देखते हुए भारत को चीन-नेपाल के मज़बूत संबंधों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत-चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है।चूँकि भारत-नेपाल की सीमा पर लोगों को स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति है, इसलिये नेपाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, अतः भारत को नेपाल के साथ स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिये।

NOTA के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराया जाए: याचिका

5
Candidate's Name
6
Candidate's Name
7
Candidate's Name
8
Candidate's Name
9
Candidate's Name
10
NOTA

- हाल ही में, एक वकील द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा (’उपरोक्त में से कोई भी नहीं’ विकल्प) / NOTA (‘None of the above’ option) के पक्ष में अधिकतम मतदान होने पर पुनः चुनाव कराए जाने के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गयी है।इसके अलावा, NOTA से पराजित वाले किसी भी उम्मीदवार को नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- यदि मतदाताओं द्वारा NOTA के पक्ष में मतदान करके उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाए, तो नए चुनावों में राजनीतिक दलों को पुनः उन्ही उम्मीदवारों को उतारने पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मतदाताओं ने पहले ही अपने असंतोष को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है।अस्वीकार करने का अधिकार (Right to Reject) और नए उम्मीदवार का चुनाव, मतदाताओं को अपना असंतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा।

- अस्वीकार करने का अधिकार/ राईट टू रिजेक्ट, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाएगा। राजनीतिक दल, ईमानदार और देशभक्त उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए विवश होंगे।
- अस्वीकार करने का अधिकार (Right to Reject) को पहली बार वर्ष 1999 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।इसी तरह, चुनाव आयोग ने, पहली बार वर्ष 2001 में, जेम्स लिंगदोह (तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त) के तहत, 'राइट टू रिजेक्ट' का समर्थन किया और इसके पश्चात वर्ष 2004 में टी.एस. कृष्णमूर्ति (तत्कालीन CEC) द्वारा प्रस्तावित चुनावी सुधारों में इसका समर्थन किया गया।

- इसके अलावा, वर्ष 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 'चुनावी सुधारों पर आवश्यक पत्र' (Background Paper on Electoral Reforms) ने प्रस्ताव किया गया था कि एक निश्चित प्रतिशत सीमा से अधिक नकारात्मक मतदान होने पर चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करके नए चुनाव आयोजित कराए जाने चाहिए।

- उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए NOTA का विकल्प निर्धारित किया गया था।

- वर्ष 2014 में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा चुनावों में NOTA का विकल्प लागू किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में उम्मीदवारों की सूची के अंत में NOTA का विकल्प होता है। इससे पहले, एक नकारात्मक मतदान करने के लिए, मतदाता को मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को सूचित करना पड़ता था। वर्तमान में, NOTA वोट के लिए पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है।

- चुनावी उम्मीदवारों के प्रति असंतुष्ट होने पर, NOTA आम लोगों को अपनी नापसंदगी व्यक्त करने का अवसर देता है।यह, अधिक लोगों द्वारा अधिक मतदान करने की संभावना को बढ़ाता है, भले ही वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन न करते हों, और इससे फर्जी वोटों की संख्या में भी कमी होती है।इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नकारात्मक मतदान “चुनावों में एक संस्थागत बदलाव ला सकता है और इससे राजनीतिक दलों को स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को पेश करने के लिए विवश होना पड़ेगा”।

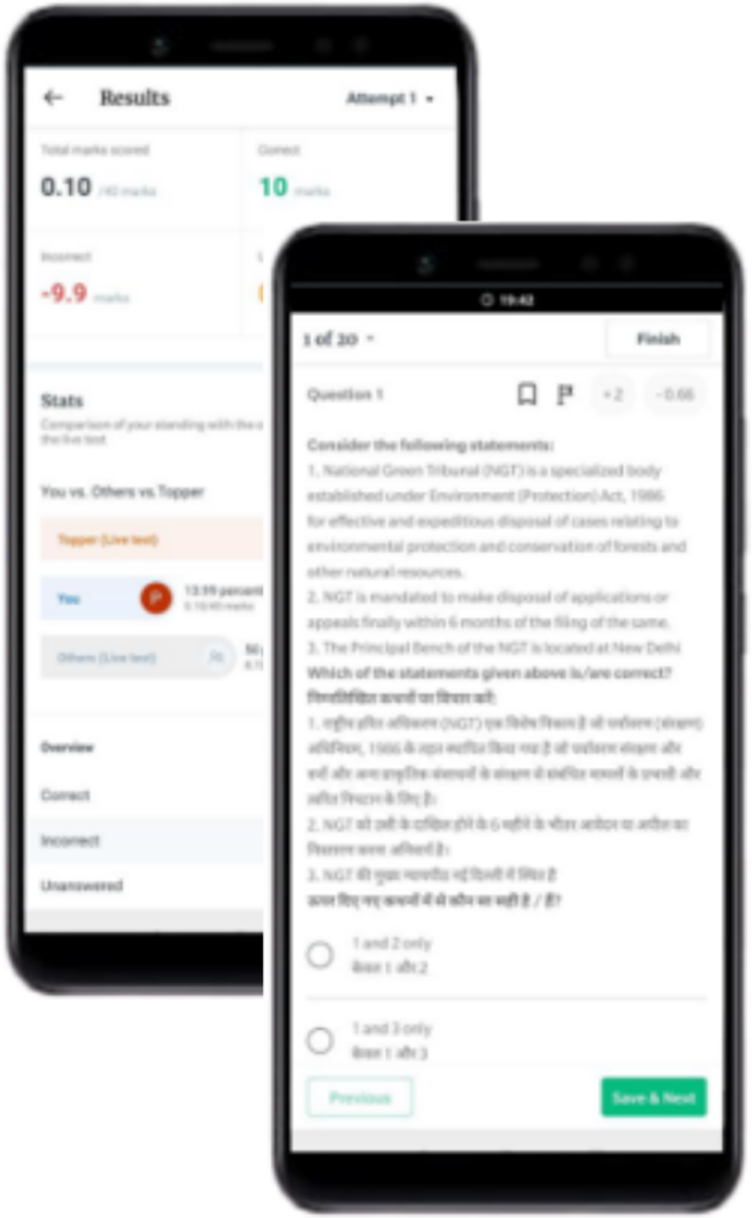

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

unacademy

LET'S CRACK IT!

Unacademy Aspire

All India Free Mock Test for Civil Services Aspirants

UPSC CSE Prelims - Paper 2 (CSAT)

10th, 17th, 25th & 30th of Every Month

Exciting Prizes & Scholarships for Top 50 Rankers

30th November | 10:00 AM

ENROLL NOW

unacademy

LET'S CRACK IT!

T20 Daily Current Affairs Test Series

November

Free test series for UPSC CSE

Free Learning Platforms

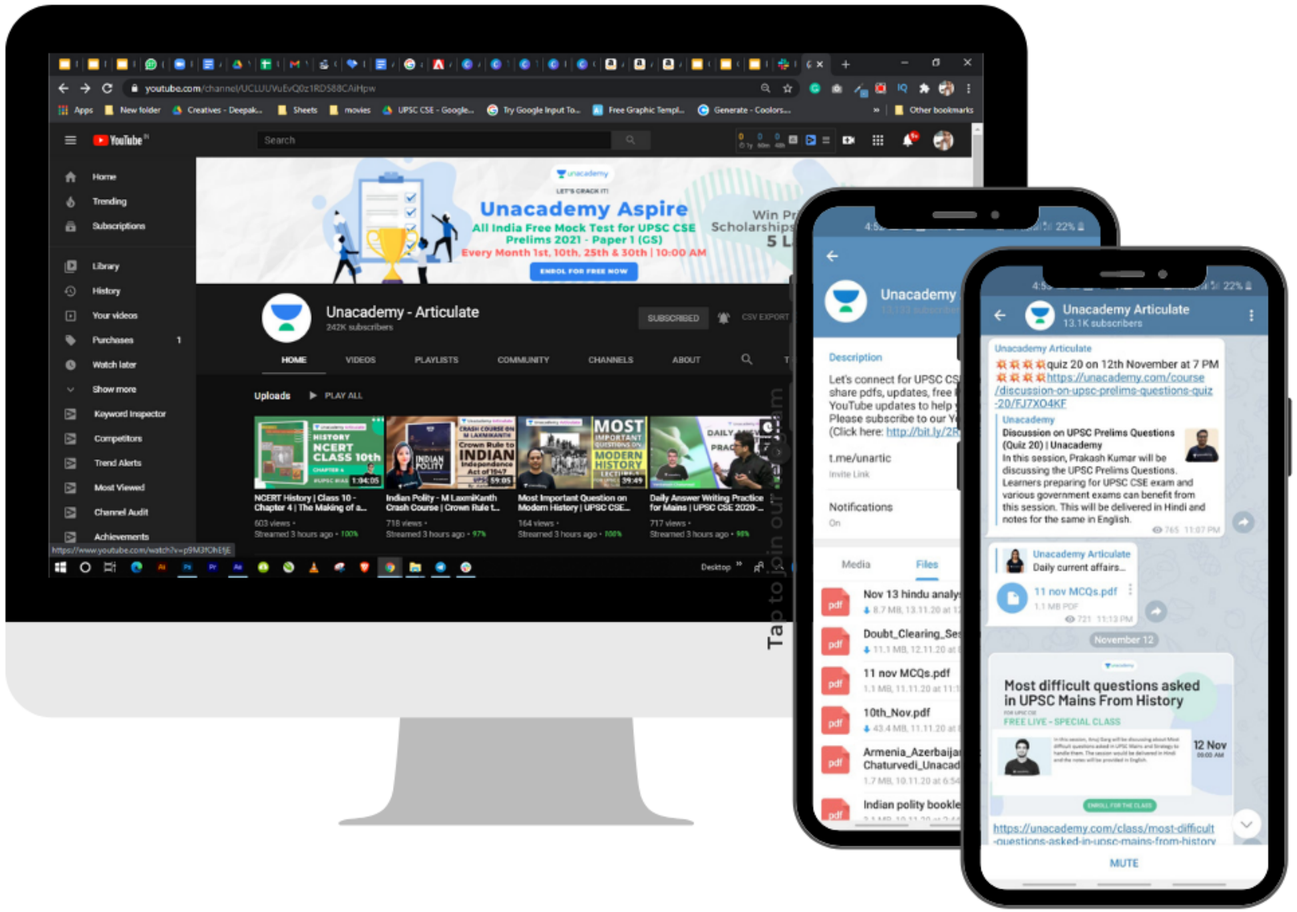

YouTube

Unacademy Articulate

- Free Live class
- Daily Current Affairs
- UPSC CSE special event notifications
- Book Summary

Telegram

Unacademy Articulate

- Free Live class notifications
- Free PDFs & study material
- Daily free Youtube session updates
- UPSC CSE special event notifications
- Free test series notifications

हॉर्नबिल फेस्टिवल
(Hornbill Festival)

- नार्थईस्ट के लोकप्रिय उत्सवों में से एक नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल(Hornbill Festival) का इस वर्ष वर्चुअल रूप से आयोजन किया जायेगा।
- कोविड-19 महामारी के बीच नागालैंड में 1 दिसम्बर से लेकर 5 दिसम्बर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल(Hornbill Festival) का वर्चुअल रूप से आयोजन किया जा रह है।नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल(Hornbill Festival) का यह 21वां संस्करण है।नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को 'फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स'(Festival of Festivals) के रूप में चिन्हित किया है।

- हॉर्नबिल फेस्टिवल (Hornbill Festival) का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस (1 दिसंबर, 1963) पर किया जाता है।इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रुबरु कराना था।इस त्यौहार का आयोजन राज्य पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा कराया जाता है।

- एक लम्बे समय से नागालैंड अशांति व हिंसा का शिकार रहा है तथा यह त्यौहार यहां के भटके हुये युवाओं को सही राह पर लाने व यहां आपसी शांति बनाये रखने में काफी कारगर रहा है।नागालैंड की 60 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। इसीलिये यह त्यौहार भी कृषि, उत्पादों, हस्तकला, भोजन, ग्रीन संगीत, नृत्य आदि के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है।इस त्यौहार में नागाओं के पारम्परिक खेलों, उनकी युद्ध कलाओं, नृत्य, गीत संगीत आदि का मंचन देखने को मिलता है।हार्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हार्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला है।

- इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है व नागाओं की पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र भी मिलता है।
- हॉर्नबिल (Hornbill) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया में पाए जाने वाला एक पक्षी है। इसे भारत में धनेश के नाम से भी जाना जाता है।हॉर्नबिल की विशेषता लंबे, घुमावदार और चमकीले होती है।

- भारत में हार्नबिल की लगभग 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं ; जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-भारतीय ग्रे हॉर्नबिल (भारत का स्थानिक), मालाबार ग्रे हॉर्नबिल (पश्चिमी घाट का स्थानिक), मालाबार पाइड हॉर्नबिल (भारत व श्रीलंका का स्थानिक), व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल (अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी) इत्यादि।भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में रफस-नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टेन ब्राउन हॉर्नबिल आदि अन्य हार्नबिल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नर्कोन्दम द्वीप में हॉर्नबिल पक्षी की नर्कोन्दम प्रजाति पायी जाती है। इसकी संख्या काफी कम बची है।हॉर्नबिल पक्षी के अवैध शिकार ने इसे संकटग्रस्त कर दिया है। भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कई प्रोग्राम चलाये हैं।
- नागालैंड राज्य ख़ूबसूरत पहाड़ियों और यहां बहने वाली नदियों के मधुर संगीत से गुलज़ार रहता है। हिमालय की तराई में बसा यह क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, रोचक इतिहास और अदभूत संस्कृति से भरपूर है।

- नगा जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति से ताल्लुक रखते है। क़रीब बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के आस पास ये जनजातियां असम के अहोम लोगों के संपर्क में आईं । ये जनजातियां अपने संस्कृति को लेकर काफी सतर्क थीं। इसलिए असम में आने के बावजूद भी इन लोगों के रहन-सहन पर कोई विशेष अंतर नहीं आया।अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद भी नागालैंड कई वर्षों तक आज़ाद रहा। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नागालैंड को भी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। हलांकि अंग्रेज़ योद्धाओं की भूमि कहे जाने वाले नागालैंड पर भारत के दूसरे इलाकों की तरह शासन नहीं कर पाए।

- भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1957 में नागालेंड पहले केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1 दिसंबर, 1963 को इसे 16 वें राज्य के तौर पर मान्यता दे दी गई।नागालैंड पूर्वोतर में बसा ख़ूबसूरत पहाड़ियों वाला राज्य है। इसकी सीमाएं पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से मिलती हैं।असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है।

- नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती है जिसकी ऊंचाई क़रीब 3,840 मीटर है। सरमती पहाड़ी नागालैंड और म्यांमार को एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में अलग करती है।नागालैंड में क़रीब 16 से अधिक जनजातियां रहती हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां में अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, और कुकी जैसी कई अन्य जनजातियां शुमार हैं। नगा जनजाति में काफी विविधता है। नागालैंड में रहने वाली जनजातियों की अपनी अलग-अलग कला और संस्कृति है।

इस्लामिक सहयोग संगठन

(Organisation of Islamic Cooperation - OIC)

ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC)

- हाल ही में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन(Organisation of Islamic Cooperation-OIC) द्वारा अपनी कश्मीर नीति(Kashmir policy) की आलोचना को दृढ़ता से खारिज किया है।
- भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम नाइजर गणराज्य के नियामे(Niamey) में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन(ओआईसी) के 47 वें सीएमएफ़(विदेश मंत्रियों की परिषद) सत्र में कश्मीर सेसंबन्धित पेश किए गए प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हैं।

- भारत अपनी कश्मीर नीति के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर परोक्ष प्रहार करते हुए कहा कि यह अफसोसजनक है कि इस्लामिक सहयोग संगठन(ओआईसी) खुद को एक देश द्वारा उपयोग करने की अनुमति देता है जिसका खुद धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर खराब रिकॉर्ड है।

- भारत का कहना है कि हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि ओआईसी के पास भारत और जम्मू-कश्मीर के मामले में दखल की कोई स्थिति नहीं है। भारत भविष्य में ओआईसी को इस तरह के संदर्भ बनाने से परहेज करने की दृढ़ता से सलाह देता है।
- इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) की स्थापना 1969 को रबात में हुई थी।इस्लामिक सहयोग संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन (Inter-governmental Organization-IGO) संगठन है ।

- वर्तमान में इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 सदस्य देश हैं। इसमें अधिकतर देश मुस्लिम हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन(ओआईसी) का पहले नाम इस्लामिक देशों का संगठन (Organisation of Islamic Countries) था।ओआईसी मुस्लिम दुनिया की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है।यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।ओआईसी का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।

- हालांकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि रूस थाईलैंड जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को ओआईसी पर्यवेक्षक का दर्ज़ा मिला हुआ है। यदि भारत इस संगठन में शामिल होता है तो उसकी पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत होगी।ओआईसी में यूएई और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में है ।

आकाशवाणी सार

ये आकाशवाणी है....

- राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप आज पुणे में बच्चों के लिए एक विशेष पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई।यह पुलिस थाना बच्चों में चरित्र निर्माण का काम करेगा।
- पुलिस के बारे में बच्चों के मन में डर की भावना को दूर करने के उद्देश्य से पुणे के लश्कर पुलिस स्टेशन के परिसर में शुरू किया गया बाल-सुलभ पुलिस स्टेशन, बच्चों में नैतिकता बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगा।

- पुलिस लोगों की दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है, ये संदेश इस अनोखे पुलिस स्टेशन के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। इस पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए किताबें और खिलौनों का भी इंतजाम किया गया है। आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉ. अभय करंदीकर ने इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पुलिस स्टेशन किशोर उम्र के बच्चों में अपराध कम करने तथा उन्हें सुधारने की दिशा में एक अनोखी पहल है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा कि अगर ये पहल कारगर साबित होती है तो अन्य पुलिस स्टेशनों में भी इसी तर्ज पर काम किया जाएगा।***

- आज (1 Dec) विश्व एड्स दिवस है। यह दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन लोगों को एच.आई.वी. के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में विश्वभर में तीन करोड 80 लाख लोग एच.आई.वी. से संक्रमित थे। भारत ने वर्ष 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद से इस संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरुक करने और इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया गया है।***

- सीमा सुरक्षा बल - बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद संसद में कानून बनाकर इसकी स्थापना पहली दिसंबर, 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षाबल के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने समारोह को संबोधित करते हुए देश को आश्वासन दिया कि बी.एस.एफ. पाकिस्तान की नापाक घुसपैठ रोकने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।***

Subscribe to Unacademy Plus

For 10% OFF Use Code

CIVILHINDIPEDIA

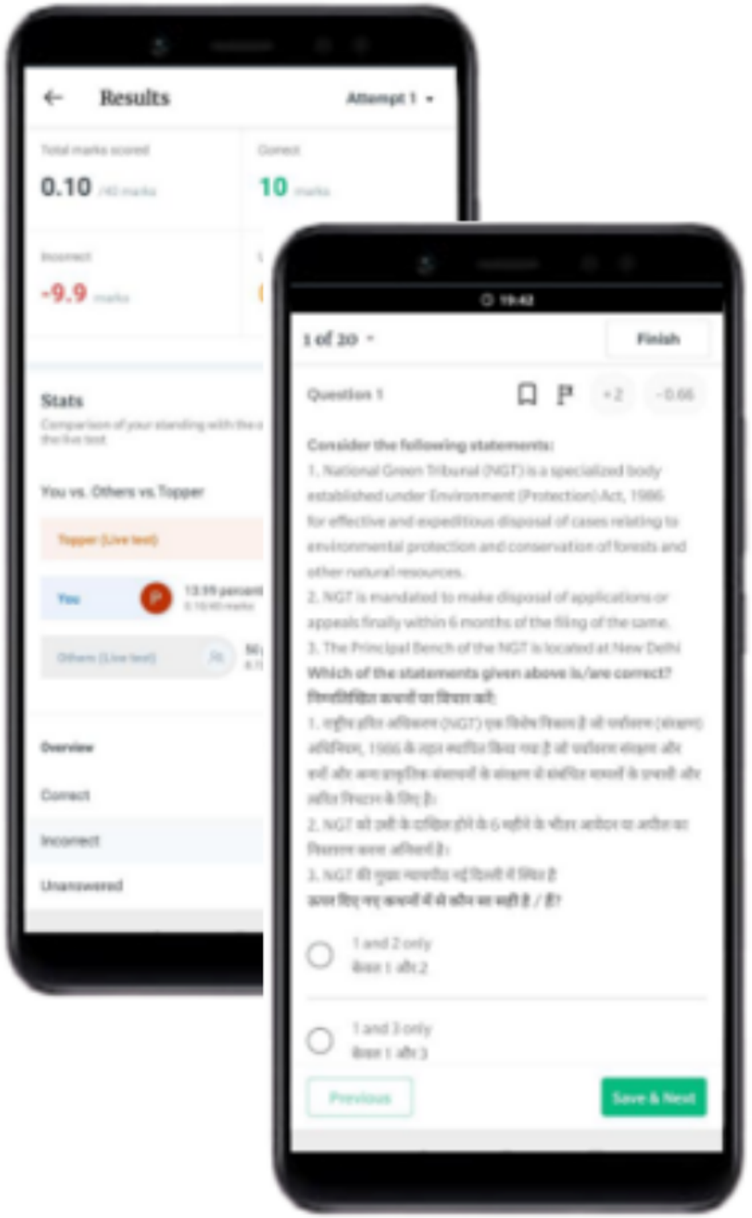

To unlock the Plus Experience for free and start learning from the best

- Free Special classes
- Free Tests series
- Free Live quizzes

Use code: CIVILHINDIPEDIA

Plus UPSC CSE Subscription

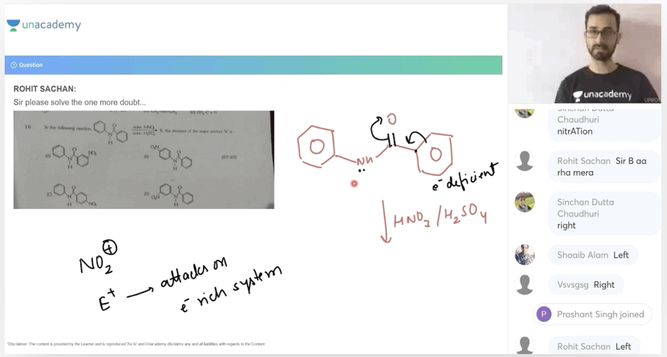

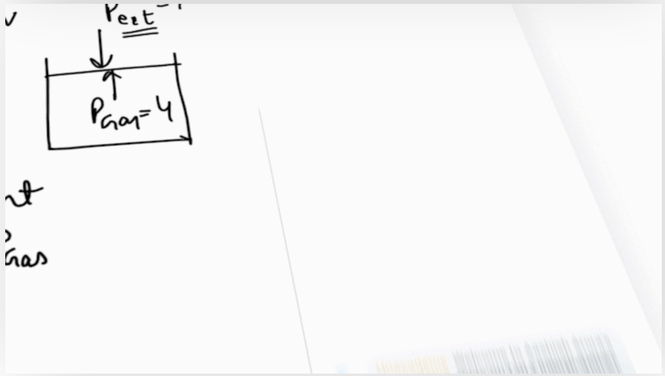

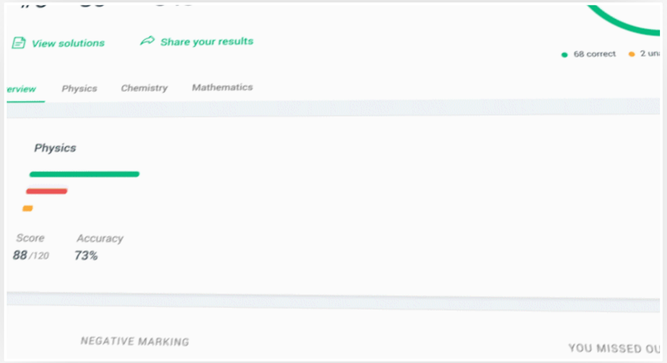

- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

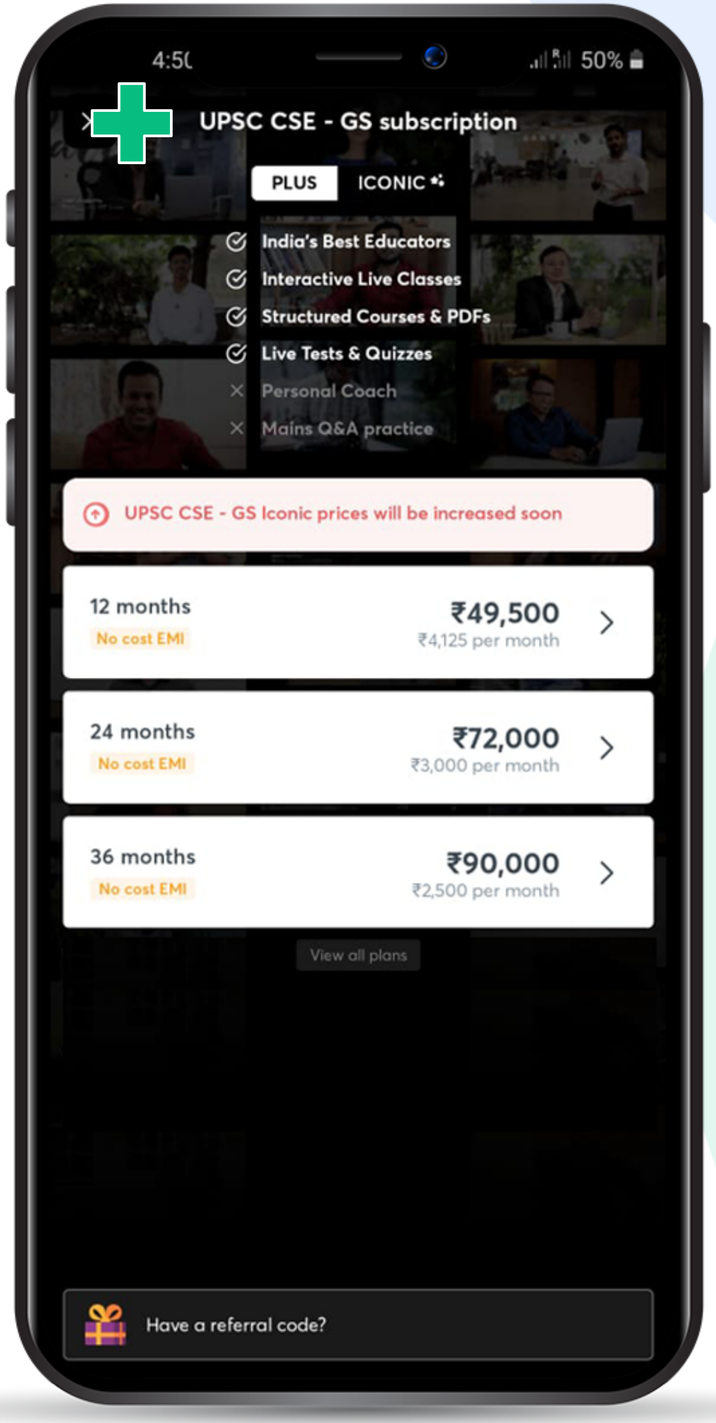

Iconic UPSC CSE Subscription

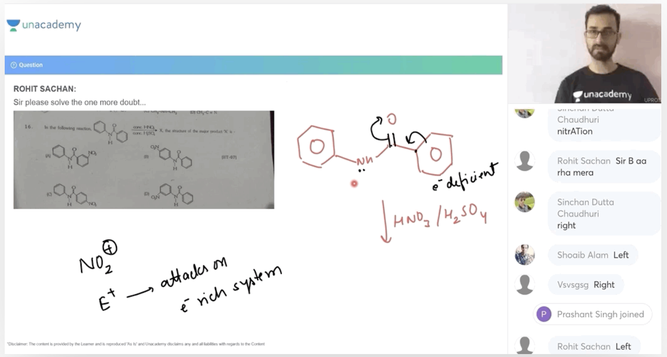

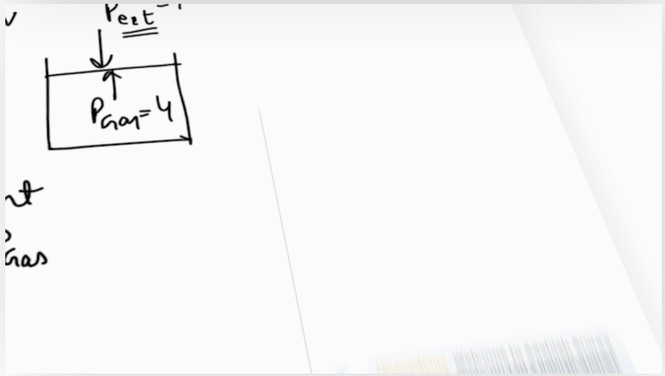

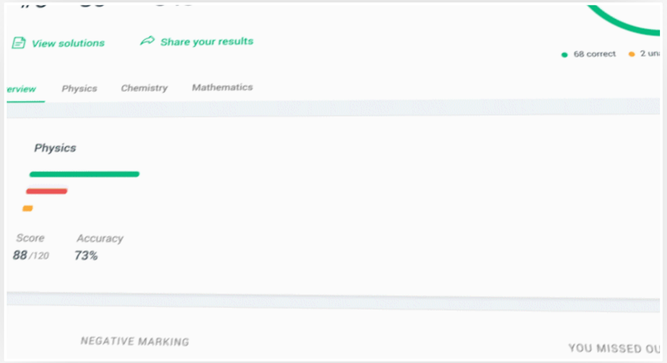

- Personal Coach
- LIVE Class Environment
- LIVE Polls & Leaderboard
- LIVE Doubt Solving
- LIVE Interaction

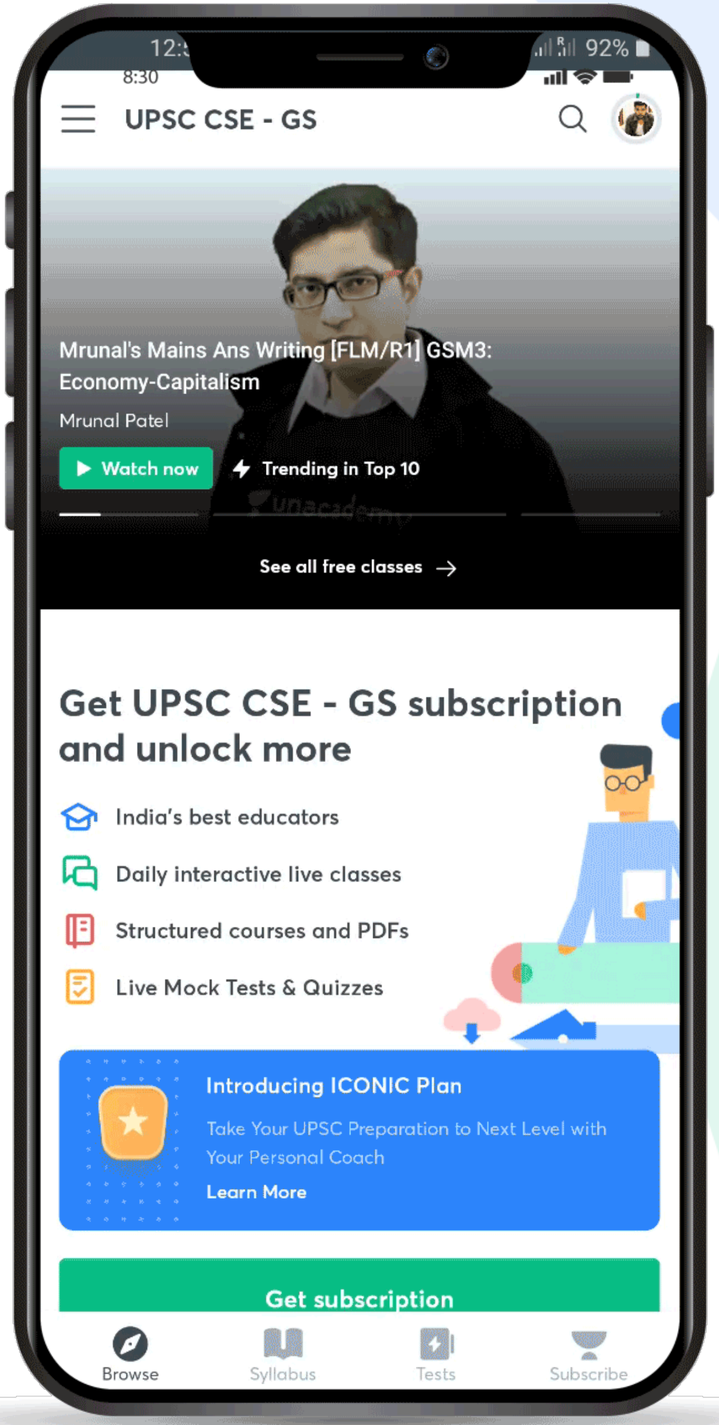

For a massive 10% Discount

Use Code **CIVILHINDIPEDIA**

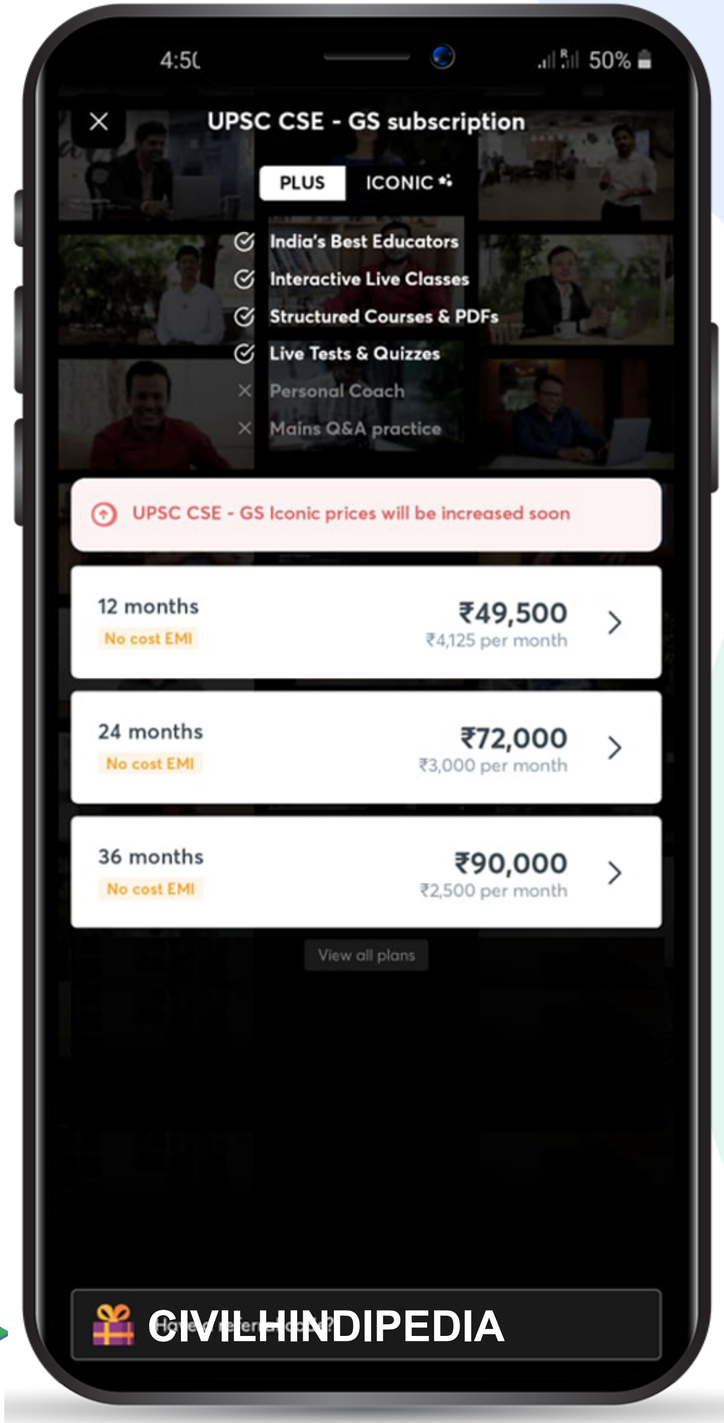

CIVILHINDIPEDIA

Thank You